प्रेस नोट
दिनांक– 29.05.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत, 04 जून की मतगणना हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी लगाने के संबंध में देर रात्रि चुनाव सेल में की बैठक, मीटिंग के उपरांत मतगणना स्थल के सभी ड्यूटी प्वाइंटो का किया स्थलीय निरीक्षण–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत, 04 जून की मतगणना को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की ड्युटी लगाने के संबंध में देर रात्रि अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चि0 श्री राधे श्याम राय व चुनाव सेल के अधि0/कर्मचारियों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग के उपरांत महोदय द्वारा मतगणना स्थल के सभी ड्यूटी प्वाइंटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा– 01. आइसोलेशन कोर्डन, 02. इनर कोर्डन व 03. आउटर कोर्डन व मजबूत बैरिकेटिंग में लगे अधि0/कर्मचारीगणों को चेक कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को परखा गया। महोदय द्वारा 04 जून को होने वाली मतगणना में लगने वाले बैरियरों को चिन्हित कर मंडी परिषद के दोनो तरफ की पार्किंग आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गयी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था दो लेयर में होगी। जिसमें गल्ला मण्डी मतगणना स्थल के 150 मीटर परिधि के बाहर तक किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। पुलिस बल द्वारा उक्त क्षेत्र में केवल पास धारक प्रत्याशी अथवा अन्य व्यक्तियों जिसमें मतगणना अधि0/कर्मचारी, मतगणना एजेंट को जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत पास चेक करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगी। **मतगणना स्थल पर पान, मसाला, सिगरेट, माचिस, इलेक्ट्रानिक डिवाइस व ज्वलनशील पदार्थ ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार की जुलूस/रैली नहीं निकली जाएगी।** कोई भी मतगणना कर्मचारी, प्रत्याशी, प्रत्याशी एजेंट या अन्य किसी का मोबाइल फोन अंदर ले जाना पूर्णतया मना है। **मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 05 एसओ0/एस0एच0ओ0, 25 निरीक्षक, 164 उ0नि0, 07 महिला उ0नि0 सहित लगभग 1200 पुरुष एव महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।** इसके अतिरिक्त एल0आई0यू0 द्वारा भी अवांछनीय/अराजक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी। मतगणना के दृष्टिगत 03 क्यू0आर0टी0 का गठन किया गया है जो दंगा नियन्त्रण उपकरणों से सुसज्जित होंगी। 01 क्यूआरटी मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर, द्वितीय क्यू0आर0टी0 को बडगाँव चौराहे तथा तृतीय क्यू0आर0टी0 को मिश्रौलिया चौराहे पर लगाई जाएगी। विधानसभा गौरा व मनकापुर के प्रभारी क्षेत्राधिकारी मनकापुर व विधानसभा मेहनौन व गोण्डा के प्रभारी क्षेत्राधिकारी सदर होगी। यातायात व्यवस्था के प्रभारी क्षेत्राधिकारी नगर विनय कुमार सिंह होंगें। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय इनर कोर्डन के प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत सम्पूर्ण मतगणना/आउटर कोर्डन के प्रभारी होंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा फायर सर्विस की गाड़ी का व्यवस्थापन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा मानक के अनुसार ड्यूटी लगायी जायेगी। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ज्वलनशील वस्तुओं व तेल गैस या शार्ट सर्किट से लगने वाली आग पर नियत्रंण स्थापित करने वाले समस्त प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित होगे।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक– 29.05.2024

थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत लापरवाही पूर्वक फॉर्च्यूनर कार चलाकर एक्सीडेंट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–239/24, धारा 279,304ए,427 भादवि व 184 एम0वी0 ऐक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त लवकुश श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव नि0 सिरसा खैर गाढा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 29.05.2024 की सुबह समय लगभग 09:00 बजे हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉच्यूर्नर कार नं0 यू0पी0 32 एच0 डब्ल्यू 1800 व मोटरसाईकिल नं0 यू0पी0 41ए0एम0 9088 सुपर स्प्लेंडर के बीच एक्सीडेंट की घटना कारित हुई थी। जिसमें मोटरसाईकिल सवार 02 लड़को को गम्भीर चोटे आयी थी। सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटना स्थल पर पहुॅचकर घायल लड़कों को सी0एच0सी0 कर्नलगंज ले जाया गया था जहां पर उनकी मृत्यु हो गयी थी। वादिनी चंदा बेगम पत्नी जावेद निवासी ग्राम निन्दुरा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा की तहरीर पर को0 कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर आरोपी चालक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र0नि0 कर्नलगंज को दिए गए थे। थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये आरोपी चालक लवकुश श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना स्थल सें फॉर्च्यूनर कार भी बरामद कर ली गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. लवकुश श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव नि0 सिरसा खैर गाढा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–239/24, धारा 279,304ए,427 भादवि व 184 एम0वी0 ऐक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
प्र0नि0 निर्भय नरायण सिंह को0 कर्नलगंज मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.05.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–148/24, धारा 304,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. राजेन्द्र पुत्र माता प्रसाद, 02. लक्ष्मन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.05.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कनकपुर में दो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई थी। जिसमें ईलाज के दौरान..................... मृत्यु हो गयी थी। वादी रामदुलारे पुत्र माता प्रसाद नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 29.05.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों–01. राजेन्द्र, 02. लक्ष्मन को नगवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राजेन्द्र पुत्र माता प्रसाद नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. लक्ष्मन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–148/24, धारा 304,323,504,506 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान–

नगवा मोड़ के पास, थाना नवाबगंज।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा।
02. हे0का0 सूर्यभान।
03. म0का0 नीलू सिंह।

प्रेस नोट
दिनांक 29.05.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-148/24, धारा 304,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों-01. राजेन्द्र पुत्र माता प्रसाद, 02. लक्ष्मन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को नगवा मोड़ के पास थाना नवाबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री रामदुलारे पुत्र माता प्रसाद निवासी कनकपुर थाना नवाबगंज द्वारा दिनांक 06.05.2024 को थाना नवाबगंज पर सूचना दिया गया की जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगण से मारपीट की घटना घटित हुई थी। तरहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 148/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि बनाम राजेन्द्र आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा द्वारा की जा रही थी। इलाज के दौराने वादी रामदुलारे की मृत्यु हो गया थी जिसके आधार पर धारा 304 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी।
आज दिनांक 29.05.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों-01. राजेन्द्र, 02. लक्ष्मन को नगवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राजेन्द्र पुत्र माता प्रसाद नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. लक्ष्मन पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-148/24, धारा 304,323,504,506 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान-

नगवा मोड़ के पास, थाना नवाबगंज।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा।
02. हे0का0 सूर्यभान।
03. म0का0 नीलू सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.05.2024, थाना कटराबाजार
जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 121/2024, धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त राजकुमार पांडेय उर्फ पुत्तू लाल पुत्र शिव प्रसाद निवासी चैनलालपुरवा मौजा सुसुंडा थाना परसपुर जनपद गोंडा को थाना कटराबाजार पुलिस के द्वारा गोण्डा कटरा मार्ग सीरपुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना कटराबाजार पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में मु0अ0सं0- 121/2024, धारा 363, 366 भादवि बनाम पुत्तू लाल आदि 02 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 29.05.2024 को वांछित अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय उर्फ पुत्तू लाल पुत्र शिव प्रसाद निवासी चैनलाल पुरवा मौजा सुसुंडा थाना परसपुर गोण्डा को थाना कटराबाजार पुलिस के द्वारा गोण्डा कटरा मार्ग सीरपुरवा मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. राजकुमार पांडेय उर्फ पुत्तू लाल पुत्र शिव प्रसाद निवासी ग्राम चैनलाल पुरवा मौजा सुसुंडा थाना परसपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 121/2024, धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार
02. का0 अनुराग राजवंशी
03. का0 चन्द्रपाल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.05.2024, मॉनिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपए 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त रामकरन पुत्र काली प्रसाद को 07 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में आरोपी अभियुक्त 01. रामकरन पुत्र कालीप्रसाद निवासी खोजनपुर थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0तरबगंज के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा कोर्ट द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास व रू 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. रामकरन पुत्र कालीप्रसाद निवासी खोजनपुर थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-113/19, धारा 307/34 भादवि थाना को0तरबगंज, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।